न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ, जिला भीलवाडा

(बईजलास श्री विनोद कुमार, आर0ए0एस)

प्रकरण संख्या 115/2023 राजस्व प्रार्थनापत्र

अनवान

1 गिरीराज पिता मदनलाल मुन्दडा (महाजन) उम्र वयस्क निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला–भीलवाडा
2 मुकेश पिता बंशीलाल उर्फ लाला कुमावत उम्र वयस्क निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला–भीलवाडा
3 मनीष कुमार पिता सांगरमल बापना (महाजन) उम्र वयस्क निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला–भीलवाडा
4 राजेन्द्र पिता बंशीलाल उर्फ सागरमल बापना (महाजन) उम्र वयस्क निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला–भीलवाडा

.... प्रार्थीगण

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा

...........विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 129,131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :::–श्री .सुरेशचन्द्र अहीर वकील प्रार्थी
पेरोकार सरकार

–:: निर्णय ::–

दिनांक 02.01.2024

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षी राज्य पक्ष तहसीलदार हमीरगढ इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम हमीरगढ पटवार हल्का क्षेत्र हमीरगढ तहसील हमीरगढ स्थित खसरा संख्या 4061/1393 रकबा 0.6575 हैक्टयर, खसरा संख्या 1394 रकबा 0.0126 हैक्टयर, खसरा संख्या 1395 रकबा 0.0126 हैक्टयर, खसरा संख्या 1396 रकबा 1.6565 हैक्टयर कुल किता 4 रकबा 2.3392 हैक्टयर भूमि पर प्रार्थीगण का मालिकाना के सम्पूर्ण क्षेत्रफल पर प्रार्थीगण पूर्ण रूप से काबिज है। हाल खसरान साबिक नम्बर 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683 से पैमाईश कार्यवाही में नवीन निर्मित हुए है। राजस्व नक्शा एवं रेकार्ड का तुल्नात्मक अध्ययन किया तो पता चला कि साबिक नक्शे/क्षेत्रफल अनुसार हाल नक्शे की तरमीम में रकबे को कमतर किया हुआ है। जिसका कोई विधिक अधिकार अप्रार्थी राज्य पक्ष को प्राप्त नही है। इस दोषयुक्त की गई तरमीम से प्रार्थीगण के वैध अधिकारों का हनन हो रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

राजस्व कर्मचारीयों के द्वारा किये गये इस दोषयुक्त ईन्द्राज से प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति हुई है। यह त्रूटीयुक्त तरमीम आदिनांक तक अनवरत जारी है जिसे संशोधन की आज्ञा प्रदान की जावें।

अतः ग्राम हमीरगढ पटवार हल्का क्षैत्र हमीरगढ तहसील हमीरगढ स्थित खसरा संख्या 4061/1393 रकबा 0.6575 हैक्टयर, खसरा संख्या 1394 रकबा 0.0126 हैक्टयर, खसरा संख्या 1395 रकबा 0.0126 हैक्टयर, खसरा संख्या 1396 रकबा 1.6565 हैक्टयर कुल किता 4 रकबा 2.3392 हैक्टयर भूमि के हाल राजस्व नक्शा में साबिक राजस्व नक्शा में दर्ज रकबा अनुसार तरमीम दुरूस्त कराया जाना फरमावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 18.07.2023 को दर्ज रजिस्टर किया गया विपक्षीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई। विपक्षी को जारी सम्मन/नोटीस विधिवत तामील होकर रेकार्ड पर उपलब्ध है। विपक्षी राज्य पक्ष तहसीलदार हमीरगढ द्वारा प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण की ताईत करते हुए, मामलें में कोई उजर आपत्ति नही होना व्यक्त कर, प्रकरण में ईकबालिया जवाब मय प्रस्तावित नक्शा ट्रेस प्रस्तुत कराया गया, जिसे रेकार्ड पर लिया गया।

प्रार्थीगण के नियुक्त विद्वान अभिभाषक ने बहस में अपने अभिवचनों/तर्को से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को मंजूर किए जाने का अनुरोध किया। साथ ही प्रार्थी द्वारा एक प्रा.पत्र प्रस्तुत किया जिसमें तरमीम दुरस्त के संबंध में वर्तमान प्रभावित आराजी संख्या 1416 रकबा 2.0611है0 एवं 1418,1419,1420 कुल किता 03 रकबा 1.0875है0 के खातेदारों द्वारा अनापत्ति हेतु शपथ पत्र मय नोटरी शुदा भी प्रस्तुत किया है।

हमने विद्वान अभिभाषक द्वारा दी गई दलीलों पर चिंतन/मनन किया एंव पत्रावली व पत्रावली पर प्रस्तुत किए गये प्रार्थनापत्र तथा समर्थन में प्रस्तुत कराये गये दस्तावेजात तथा राज्य पक्ष की ओर से प्रस्तुतशुदा ईकबालिया जवाब का बारीकी से अध्ययन एंव विश्लेषण किया। न्यायालय प्रार्थीगण की दी हुई दलीलों/तर्को से सहमत है कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा अभिलेखों के ईन्द्राज में निश्चित रूप चूक कारित की गई थी। साबिक व वर्तमान राजस्व रेकार्ड/राजस्व नक्शा के तुल्नात्मक अध्ययन/परिक्षण से यह प्रमाणित है कि प्रार्थीगण के हक स्वामित्व रकबे को साबिक नक्शे अनुसार हाल नक्शे में कमतर दर्ज किया गया है। जो कि राज्य पक्ष ने अपने ईकबालिया जवाब में भी उल्लेखित किया है।

अतः उपरोक्त विवेचनों एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप न्यायालय प्रा.पत्र प्रार्थीगण को स्वीकार किए जाने योग्य मानता है।

उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ (सील)

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

—:: आदेश::—

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 129,131,136 एल0आर0एक्ट विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार करते हुए न्यायालय तहसीलदार हमीरगढ को यह आज्ञा देता है कि वाके ग्राम हमीरगढ पटवार हल्का क्षैत्र हमीरगढ प्रथम भू0अ0नि0 हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा स्थित हाल खसरा संख्या 4061/1393 रकबा 0.6575 हैक्टयर, खसरा संख्या 1394 रकबा 0.0126 हैक्टयर, खसरा संख्या 1395 रकबा 0.0126 हैक्टयर, खसरा संख्या 1396 रकबा 1.6565 हैक्टयर कुल किता 4 रकबा 2.3392 हैक्टयर की पैमाईश पूर्व स्थिति/नक्शे में निहित रबके अनुसार, हाल राजस्व नक्शे में रकबें इजाफा कर, उसी अनुसार हाल राजस्व नक्शे में तरमीम की जावें। यह दुरूस्तिकरण/परिवर्तन राज्य पक्ष तहसीलदार हमीरगढ द्वारा प्रस्तावित नक्शे अनुसार हाल नक्शे में किया जावें। प्रस्तावित राजस्व नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग घोषित किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 02.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
जिला भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

क्रमांक/प्रा.पत्र./एलआर/प्र.स. 115/2023 दिनांक 02.01.2024

प्रतिलिपि–

तहसीलदार हमीरगढ को भेजकर लेख है कि माफिक आदेश के राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद किया जाकर मय पालना रिपोर्ट के नकल चालू जमाबंदी सहित 30 दिन की समयावधि में प्रस्तुत करने की सुनिश्चिता करें।

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
जिला भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ